UPMI010028302020

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, मीरजापुर।
उपस्थितः–संतोष कुमार गौतम (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)
आर्बिट्रेशन वाद संख्या–39/2020
अमीना बानो बनाम परियोजना निदेशक व अन्य

27.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध मुन्सरिम रिपोर्ट दिनांकित 21.10.2020 का अवलोकन किया। मुन्सरिम रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत आर्बिट्रेशन वाद 194 दिन विलम्ब से दाखिल किया गया है, विलम्ब माफी हेतु प्रार्थना–पत्र 18ग प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी संख्या 1 की ओर से आर्बिट्रेशन वाद लिखित आपत्ति 14क/1 लगायत 14क/7 तथा विपक्षी संख्या–2 व 3 की ओर से लिखित आपत्ति 13क ता 13क/3 प्रस्तुत किया गया है तथा मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि मियाद अधिनियम लागू नहीं होता है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

मुन्सरिम आख्या दिनांकित 21.10.2020 के अनुसार 194 दिन का विलम्ब है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **IN RE: COGNIZANCE FOR EXTENSION OF LIMITATION** में पारित आदेश दिनांकित 10.01.2022 के दृष्टिगत आवेदक मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रस्तुत मामले में आवेदक के अनुसार आवेदक , विद्वान पंचाट/जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 10.01.2020 के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है।

इस सम्बन्ध में आवेदक की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **IN SUO MOTU WRIT PETITION [C] NO 3 OF 2020 IN RE: COGNIZANCE FOR EXTENSION OF LIMITATION,** में पारित आदेश दिनांकित 10.01.2022 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न आशय का अभिमत व्यक्त किया गया हैः–

I. The order dated 23.03.2020 is restored and in continuation of the subsequent orders dated 08.03.2021, 27.04.2021 and 23.09.2021, it is directed that the period from 15.03.2020 till 28.02.2022 shall stand excluded for the purposes of limitation as may be prescribed under any general or special laws in respect of all judicial or quasi judicial proceedings.

II. Consequently, the balance period of limitation remaining as on 03.10.2021, if any, shall become available with effect from 01.03.2022.

III. In cases where the limitation would have expired during the period between 15.03.2020 till 28.02.2022, notwithstanding the actual balance period of limitation remaining, all persons shall have a limitation period of 90 days from 01.03.2022. In the event actual balance period of limitation remaining, with effect from 01.03.2022 is greater than 90 days, that longer period shall apply.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्याय निर्णयन् से यह स्पष्ट है कि मियाद की गणना के लिए दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक के समय में न जोड़े जाने का अभिमत व्यक्त किया गया है। प्रश्नगत अवार्ड दिनांक 10.01.2020 को पारित है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था के दृष्टिगत कायमी प्रार्थनापत्र अंदर मियाद होना प्रकट होती है। तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 18ग स्वीकार करते हुए, धारा–34 मध्यस्थता व सुलह समझौता अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद माना जाता है।

तद्नुसार धारा 34 मध्यस्थता व सुलह समझौता अधिनियम 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के एड्मिशन हेतु पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष दिनांक 03.08.2026 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 1,
मीरजापुर।